अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकःएफ.4(1)(310)पोषा/S.H.G./मबावि/2007–III/ 93990-94022 जयपुर, दिनांक 15.7.16

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :– विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के प्रभावी कियान्वयन बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 196/2001 में दिनांक 07.10.2004 को पारित आदेशों के क्रम में माह अप्रेल, 2015 से सम्पूर्ण राज्य में आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को आर.टी.ई. पूरक पोषाहार एवं आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चो को नाश्ता व अतिरिक्त पूरक पोषाहार स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था का उद्देश्य लाभान्वितों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण एवं रूचिकर पोषाहार उपलब्ध कराने के साथ–साथ महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करना भी है।

विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के प्रभावी कियान्वयन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। पूरक पोषाहार के पूर्ण उपयोग एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों का विवरण निम्नानुसार है :–

- विभागीय आदेश क्रमांक 137804–138153 दिनांक 11.10.2013 एवं 19514–46 दिनांक 19.02.2016 द्वारा प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र पर पोषाहार वितरण रजिस्टर संधारित करने के निर्देश जारी किये गये है।
- विभागीय आदेश क्रमांक 6461–6785 दिनांक 20.01.2014 से भारत सरकार द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के संबंध में जारी गाईड लाईन्स की पालना सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किये गये है।
- विभागीय आदेश क्रमांक 35758–777 दिनांक 11.04.2014 द्वारा सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भ्रमण कार्यक्रम में गुरूवार को सम्मिलित करने एवं पोषाहार का वितरण स्वयं की उपस्थिति में कराने के निर्देश जारी किये गये है।
- विभागीय आदेश क्रमांक 37224–256 दिनांक 23.04.2014 द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं महिला पर्यवेक्षकों को स्वयं की उपस्थिति में पोषाहार का निर्माण कराने एवं पोषाहार की प्रयोगशाला जांच कराने के निर्देश जारी किये गये है।
- विभागीय आदेश क्रमांक 38798–800 दिनांक 29.04.2014 द्वारा पूरक पोषाहार की जांच स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरट्री की सम्भाग स्तर पर संचालित प्रयोगशालाओं से जांच कराने के आदेश जारी किये गये है।

- विभागीय आदेश कमांक 71221–557 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पोषाहार की आपूर्ति मंगलवार एवं बुधवार को प्राप्त करने एवं गुरूवार को वितरण करने तथा विभागीय अधिकारियों को निरीक्षण में उक्त दिवसों को सम्मिलित करने के निर्देश जारी किये गये है।
- विभागीय आदेश कमांक 85030–63 दिनांक 10.09.2015 द्वारा पूरक पोषाहार का वितरण यथा सम्भव जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में करने के निर्देश जारी किये गये है।
- विभागीय आदेश कमांक 95167–200 दिनांक 06.10.2015 द्वारा पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अन्य निर्देशों के साथ–साथ खराब गुणवत्ता की शिकायतों का विशेष अभियान चलाकर जांच किये जाने एवं प्रयोगशाला जांच कराने के निर्देश जारी किये गये है।
- विभागीय आदेश कमांक 101532–1564 दिनांक 04.11.2015 द्वारा सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को पोषाहार निर्माण स्थल का निरीक्षण करने एवं निर्धारित मात्रा में खाद्य सामग्री का उपयोग करते हुए पोषाहार निर्माण सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किये गये है।
- विभागीय आदेश कमांक 116207–38 दिनांक 31.12.2015 द्वारा पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पहले प्राप्त पोषाहार का पहले वितरण करने, पोषाहार की पैकिंग, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं पोषाहार के निर्माण दौरान स्वच्छता के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों एवं प्राप्त सूचनाओं के अनुसार विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था में उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान स्वयं सहायता समूहों के पोषाहार निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया जायेगा एवं इस निरीक्षण से संबंधित टिप्पणी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में आवश्यक रूप से उल्लेखित की जायेगी। यथासम्भव स्वयं सहायता समूह के पोषाहार निर्माण स्थल पर अपनी उपस्थिति में बेबीमिक्स रेसीपी के लिए निर्धारित मात्रा में खाद्य सामग्री का उपयोग करते हुए पोषाहार का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करायेंगे। प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक अपनी उपस्थिति में पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) बनाये जाने का कार्य प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक स्वयं सहायता समूह के पोषाहार निर्माण स्थल पर आवश्यक रूप से कराते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरक पोषाहार का निर्माण स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा स्वयं के स्तर पर विभाग द्वारा निर्धारित रेसीपी के अनुसार किया जा रहा है।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें। निरीक्षण के दौरान उक्त निर्देशों की पालना नहीं पाये की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिकों के विरूद्व कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

94023-340

क्रमांकः एफ.4(1)(310)पोषा/S.II.G./मबावि/2007–III/ जयपुर, दिनांक 15.7.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. समस्त अधिकारी गण, मुख्यालय ।
5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों से समस्त महिला पर्यवेक्षकों को अवगत कराते हुए पालना सुनिश्चित करावें।

(स्मिता सरीन)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राज. जयपुर।